

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : 13 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 15 )

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जगरूप सिंह पुत्र भूरा सिंह मार्फत बलविन्द्र सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति नाई निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्री करणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:-17.01.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

—निर्णय—

दिनांक :20.01.2025

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 90/85 के मुर्ब्बा नम्बर 32, 45, 82 की कुल 5.892 हैक्टेयर भूमि में से वादी जगरूप सिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में मुर्ब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 11, 21 ता 25 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि एवं मुर्ब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 15, 16 सालम-सालम, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बाराणी दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 90/85 के मुर्ब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 11, 21 ता 25 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि एवं मुर्ब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 15, 16 सालम-सालम, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टेयर, कुल 2.504 हैक्टेयर बाराणी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 479 दिनांक 05.12.2024 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 1 एस- की जमाबंदी संवत 2075-78 खाता संख्या 90 के मु0न0 32 का किला न0 11,21,22,23,24,25 (सालम) 1.771 है0 बाराणी एवं मु0न0 45 का किला न0 4/0.253 नहरी, 7/0.253 नहरी, 13/2 का 0.126 नहरी, 14/0.253 नहरी, 15/0.253 बाराणी, 16/0.253 बाराणी,17/0.253 नहरी, 18/0.253 नहरी, 23/0.228 नहरी, 24/0.227 नहरी, 25/0.227 बाराणी 2= 2.528 है0 नहरी/बाराणी कुल 1.771 +2.528 = 4.299 है0 नहरी/बाराणी भूमि जगरूप सिंह पुत्र भूरा सिंह, मिठदू सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति नाई के नाम दर्ज है। मुताबिक सीसीए रिकार्ड चक 1 एस के मु0न0 32 के 15 बीघा मूल रुप से कमाण्ड है एवं शेष 10 बीघा अनकमाण्ड मे से किला न0 6 ता 10 कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 569-71/08.9.1980 द्वारा अस्थायी रुप से सिंचित घोषित किया गया इस आकार चक 1 एस के मु0न0 32 के कुल 20 बीघा कमाण्ड है । एवं चक 1 एस के मु0न0 45 के 20 बीघा मूल रुप से कमाण्ड है एवं शेष 5 बीघा अनकमाण्ड मे से किला न0 15/0.126, 16/0.253, 25/0.228 कुल 0.607 है0 कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 569-71/08.9.1980 द्वारा अस्थायी रुप से सिंचित घोषित किया है। इस प्रकार चक 1 एस के मु0न0 45 के कुल 22 बीघा 8 विस्वा कमाण्ड है। अतः चक 1 एस जमाबंदी संवत 2075-78 खाता संख्या 90 में मु0न0 32 का किला न0 11,12, 21 ता 25 (सालम) = 1.771 है0 एवं मु0न0 45 का किला न0 15/0.253 मे से 0.127 , 16/0.253, 25/0.227 = 0607 कुल 1.771+0607 = 2.378 है0 बाराणी भूमि को राजस्व रिकार्ड मे नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा। राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन एवं विक्रय ) नियम 1956 के नियम 7 (क) के अनुसार आवंटित रकबा बाराणी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि के सबध में मु0न0 45 का किला न0 15/0.253 मे से 0.127 , 16/0.253, 25/0.227 = 0607 की अन्तरराशि जीआरएन न0 87240576 दिनांक 28.03.2024 से जमा है एवं मु0न0



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

32 का किला न0 11,12, 21 ता 25 (सालम) = 1.771 है0 वारानी भूमि श्रीमान एसडीओ श्रीकरणपुर के आदेश क्रमांक 764/02.08.1976 से रुपये 437.50 /- आति बीघा की दर से आवंटित हुया अत मु0न0 32 का किला न0 11,12, 21 ता 25 (सालम) = 1.771 है0 ( 7 बीघा ) की 1225-437.50 = 787.50 गुणा 7 = 5513 रुपये जमा करवाये जाने है । एवं ब्याज में राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प3(23)उप/2020-1 दिनांक 30.09.2024 अनुसार दिनांक 31.12.2024 तक शत प्रतिशत छुट है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 90/85 की प्रति, चक 1 एस के सीसीए चक प्लान की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है. कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 90/85 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 11, 21 ता 25 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 15, 16 सालम-सालम, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टेयर, कुल 2.504 हैक्टेयर वारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने वावत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर सीसीए रिकार्ड चक 1 एस के मु0न0 32 के 15 बीघा मूल रुप से कमाण्ड है एवं शेष 10 बीघा अनकमाण्ड मे से किला न0 6 ता 10 कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगगानगर के आदेश क्रमांक 569-71/08.9.1980 द्वारा अस्थायी रुप से सिंचित घोषित किया गया। इस प्रकार चक 1 एस के मु0न0 32 के कुल 20 बीघा कमाण्ड है । एवं चक 1 एस के मु0न0 45 के 20 बीघा मूल रुप से कमाण्ड है एवं शेष 5 बीघा अनकमाण्ड मे से किला न0 15/0.126, 16/0.253, 25/0.228 कुल 0.607 है0 कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगगानगर के आदेश क्रमांक 569-71/08.9.1980 द्वारा अस्थायी रुप से सिंचित घोषित किया है। इस प्रकार चक 1 एस के मु0न0 45 के कुल 22 बीघा 8 बिस्वा कमाण्ड है। अतः चक 1 एस जमाबंदी संवत 2075-78 खाता संख्या 90 में मु0न0 32 का किला न0 11,12, 21 ता 25 (सालम) = 1.771 है0 एवं मु0न0 45 का किला न0 15/0.253 मे से 0.127 , 16/0.253, 25/0.227 = 0607 कुल 1.771+0607 = 2.378 है0 वारानी भूमि को राजस्व रिकार्ड मे नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र, वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 90/85 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 11, 21 ता 25 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 15, 16 सालम-सालम, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टेयर, कुल 2.504 हैक्टेयर वारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की अन्तरराशि की गणना कर राजकोष में जमा करवाकर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इस खाता के शेष अंकन व रहन वदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली कैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील जाक्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।



{शयोराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर जिला श्रीगगानगर

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इंजलिस सुनाया गया।

{शयोराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्री करणपुर जिला श्रीगगानगर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जगरूप सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए

मुकदमा नम्बर 13/2025

निर्णय दिनांक :-20.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 90/85 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 11, 21 ता 25 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 15, 16 सालम-सालम, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टेयर, कुल 2.504 हैक्टेयर बाराणी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की अन्तरराशि की गणना कर राजकोष में जमा करवाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। आज दिनांक 20.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	02	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक: रीडर/2025/35

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

दिनांक: 20.01.2025

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

